न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

पीठासीन अधिकारी, श्री पंकज कुमार–II, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (UP 3652)

निर्णय तिथि–19.08.2026

UPHP120000452015

CRI. CASE/42/2015

वाद सं०–1889/2026

उ०प्र० राज्य बनाम प्रदीप कुमार

मु०अ०सं०–116/2014
आरोप–279, 304 ए भा०दं०सं०
थाना– सिम्भावली, जनपद हापुड़।

अभियोक्ता	उत्तर प्रदेश सरकार (वादी मुकदमा गब्बू)
प्रतिनिधि	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	प्रदीप कुमार पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम अच्छेजा, थाना बादलपुर, जनपद गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
प्रतिनिधि	अधिवक्ता ओमपाल सिंह मावी

वाद का विवरण

घटना की तिथि	01.06.2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	01.06.2014
आरोप पत्र की तिथि	14.07.2014
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	28.08.2024
साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की तिथि	17.04.2026
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	06.08.2026
निर्णय की तिथि	19.08.2026(लंच बाद)
सजा आदेश की तिथि	अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की क्र० सं०	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तार किये जाने की तिथि	बेल पर रिहाई किये जाने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषी या दोषमुक्त	अधिरोपित दण्ड	धारा 428 के दृष्टिगत परीक्षण के दौरान जेल में बितायी गयीअवधि
1.	प्रदीप कुमार		04.06.2014	279, 304 ए भा०दं०सं०	दोषमुक्त	दोषमुक्त किया गया	–

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के गवाहों की सूची

क. अभियोजन पक्ष

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य का स्वरूप (प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह)
पी०डब्लू० 1	पुष्पा पत्नी गब्बू	साक्षी
पी०डब्लू० 2	नानकचन्द	साक्षी

ख. बचाव पक्ष के गवाहः

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य का स्वरूप (प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह)
डी०डब्लू० 1	बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।	–

ग. न्यायालय के गवाहः

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य का स्वरूप (प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह)
सी०डब्लू० 1	न्यायालय की तरफ से कोई साक्षी तलब नहीं किया गया।	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची

क. अभियोजन

क्रम सं०	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श क–1	तहरीर
2.	प्रदर्श क–2	पंचनामा

B. बचाव पक्षः

क्रम सं०	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	बचाव पक्ष द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।	–

C. न्यायालय के प्रदर्शः

क्रम सं०	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	–	–

D. भौतिक वस्तुएंः

क्रम सं०	भौतिक वस्तु सं०	विवरण
1.	–	–

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक वाद का विचारण वादी मुकदमा गब्बू की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिम्भावली के द्वारा पंजीकृत मु०अ०सं०–116/2014, अन्तर्गत धारा–279, 304 ए भा०दं०सं० अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र सन्तराम के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र संख्या–68/2014 प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आरम्भ हुआ।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2014 को प्रार्थी अपने साडू नानकचन्द पुत्र रामलाल निवासी ग्राम सिखैड़ा, थाना सिम्भावली की पत्नी व बच्चो को लेकर सिखैड़ा मौत में आया था और नानकचन्द के ग्राम सिखैड़ा में दो मकान हैं। प्रार्थी की पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी अपने लड़के आयुश उम्र करीब 5 वर्ष को साथ लेकर ग्राम वाले मकान से कालोनी वाले मकान में जाने के लिये सड़क पार करने के लिये सिखैड़ा पुल से हापुड़ की तरफ करनपाल के मकान के सामने खड़ी थी कि आयुश ने श्रीमती पुष्पा देवी के साथ जैसे ही सड़क पार करनी चाही तो गढ़ की तरफ से कार रजि० नं० UP16AD8846 को उसका ड्राईवर जिसने पकड़े जाने पर अपना नाम प्रदीप पुत्र संतराम बताया, बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसने समय करीब 2.30 बजे दोपहर आयुश को टक्कर मार दी। आयुश को उपचार हेतु सिम्भावली अस्पताल गाड़ी व ड्राईर सहित पुलिस थाने लेकर गयी। अस्पताल में डाक्टर ने वादी मुकदमा के पुत्र आयुश को मृत घोषित कर दिया।

3. प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा विवेचना प्रारंभ की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहान के बयान आदि लिये गये। विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्शा–नजरी आदि तैयार कर बाद विवेचना अभियुक्त प्रदीप कुमार के विरूद्ध धारा–279, 304 ए भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2015 को अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त ने अपनी जमानत करायी। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं तथा अभियुक्त प्रदीप कुमार के विरूद्ध धारा–279, 304 ए भा०दं०सं० का आरोप दिनांक 28.08.2024 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–1 पुष्पा देवी, पी०डब्लू०–2 नानकचन्द को परीक्षित कराया गया है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य गवाहान को डिस्चार्ज/उन्मोचित किये जाने हेतु अभियोजन अधिकारी द्वारा आदेश पत्र पर दिनांक 20.04.2026 को उक्त वाद में मुख्य साक्षी वादी मुकदमा की मृत्यु होने व अन्य साक्ष्य देने से इंकार किया जाना पृष्ठांकित किया गया। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

6. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में दिनांक 25.06.2026 को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने मुकदमा झूठा होने का कथन किया व साक्षियों के बयानों के बारे में कुछ नहीं कहा तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

7. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

8. अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 01.06.2014 को समय 14.30 बजे व स्थान एन.एच. 24 बहद ग्राम सिखैडा पर आपने अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी मुकदमा के पुत्र आयुश को टक्कर मार दी, जिससे वादी मुकदमा का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया तथा इलाज के दौरान वादी मुकदमा के पुत्र आयुश की मृत्यु हो गयी।

9. अब देखना यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहें हैं अथवा नहीं ?

10. अभियोजन के प्रथम साक्षी पी0 डब्लू0–01 पुष्पा देवी पत्नी गब्बू ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 01.06.2014 की है। मैं अपने पति गब्बू व पांच साल के बेटे आयुष के साथ सिखैड़ा मौत में गये थे। मैं अपने बेटे आयुष को लेकर गांव वाले मकान से कालोनी वाले मकान में जाने के लिये सड़क पार करने के लिये सिखेडा पुल से हापुड़ की तरफ करन के मकान के पास खड़ी थी तभी गढ़ की तरफ से कार रजि नं०– UP16AD8846 आ रही थी। मेरा बेटा मेरा हाथ छुड़ाकर तेजी से सड़क की ओर भागा मैं जोर से चिल्लायी कार वाले ने जोर से ब्रेक लगाया, किन्तु दुर्भाग्यवश आयुष को टक्कर लग गयी। सिम्भावली अस्पताल में डाक्टरों ने आयुष को मृत घोषित कर दिया था। ड्राईवर को मैंने नहीं देखा। दुर्घटना होते ही मैं बेहोश हो गयी थी। लगभग चार माह पहले मेरे पति की हार्ड अटैक से मोत हो गयी है। तहरीर पर उनके हस्ताक्षर हैं, उनके हस्ताक्षर की मैं पुष्टि करती हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। दुर्घटना में कार कौन चला रहा था, मैं नहीं जानती। कार का नंबर मुझे लोगों ने बताया था। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन अधिकारी को जिरह का अवसर प्रदान किया गया।

11. उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि बयान 161 दं०प्र०सं० को पढ़कर सुनाने पर कहा गया तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। पता नहीं कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकती। मेरे पति पढ़े–लिखे नहीं थे। मात्र हस्ताक्षर करते थे। तहरीर थाने पर एक सिपाही ने लिखी थी। मेरा बेटा स्वयं हाथ छुड़ाकर भागा था। मैंने कार रजि सं०– UP16AD8846 के चालक को तेजी व लापरवही से आयुष को टक्कर मारते हुये नहीं देखा। हाजिर अदालत मुल्जिम को पहली बार देखा रही हूं। यह कहना गलत है कि डर या दबाव व समझौते की वजह से सही बात नहीं बता रही हूं।

12. अभियोजन के द्वितीय साक्षी पी० डब्लू०–02 नानकचन्द ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.06.2014 को मृतक आयुष का पंचनामा मेरे सामने सरकारी अस्पताल सिम्भावली में हुआ था। हम पंचों की राय में मृत्यु दुर्घटना में आयी चोटों से हुयी थी। पोस्टमार्टम की सलाह दी थी। पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

13. उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि पंचनामें पर जब हस्ताक्षर किये थे, तब उसमें कुछ नहीं लिखा था। मृतक को क्या–क्या चोटें थीं, ध्यान नहीं है। क्या–क्या कपड़े पहने थे, यह भी ध्यान नहीं है। शरीर किस दिशा में रखा था यह ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठी गवाही दे रहा हूं।

14. साक्षी वादी मुकदमा की पत्नी पी०डब्लू० 1 पुष्पा देवी व साक्षी पी०डब्लू० 2 नानक चन्द द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार उनकी गवाही गंभीर विरोधाभासों एवं असंगतियों से युक्त हो गई, जिससे उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। उन्होंने अभियोजन के आवश्यक अवयवों को सिद्ध नहीं किया। यह भी विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि दोषसिद्धि केवल अनुमान, संदेह अथवा अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर नहीं की जा सकती। अभियोजन को अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करना होता है। जब अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी/मुख्य साक्षी ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते, तब न्यायालय को अत्यधिक सावधानी के साथ शेष साक्ष्यों का परीक्षण करना आवश्यक होता है। अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह प्रतीत नहीं होता कि कोई ऐसा स्वतंत्र, ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है जो अभियोजन के कथन की पुष्टि कर सके। मात्र विवेचक अथवा औपचारिक साक्षियों की गवाही, बिना किसी ठोस प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। अतः समस्त साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

15. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्त प्रदीप कुमार के विरूद्ध धारा–279, 304 ए भा०दं०सं० का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त प्रदीप कुमार धारा–279, 304 ए भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र सन्तराम को वाद संख्या–1889/2026, मु०अ०सं०–116/2014, सरकार बनाम प्रदीप कुमार, अंतर्गत धारा–279, 304 ए भा०दं०सं०, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। दौरान वाद विचारण अभियुक्त जमानत पर था। अभियुक्त के जमानतनामें तथा उसके व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा 437 ए दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुपालन में अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त इस निर्णय के खिलाफ अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा एवं अभियुक्त इस आशय का अंकन 25,000/–रूपये के एक प्रतिभू व एक व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करेगा। यह बन्धपत्र मात्र 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–19.08.2026

(पंकज कुमार द्वितीय)
(जे.ओ.कोड 3652)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढमुक्तेश्वर, हापुड़।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–19.08.2026

(पंकज कुमार द्वितीय)
(जे.ओ.कोड 3652)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढमुक्तेश्वर, हापुड़।

Digitally signed by Pankaj Kumar
Date: 2026.08.19 17:29:24 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court